Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम [illegible] संख्या 12

बुधवार,

दिनांक 26 अप्रेल, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष: वित्त मन्त्रीजी। राजस्थान राज्य का आय-व्ययक पेश करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) :

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए सदन की अनुमति है।

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः-स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधेयक पुरः स्थापित किया गया।

श्री चन्दनमल वैद: अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः-स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 28 अप्रेल, 1972 को प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11-48 बजे दिनांक 28 अप्रेल, 72 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

श्रीमान्

मैं 1972–73 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

उद्देश्य और नीतियां--

2. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले महीने मैंने सदन से राज्य सरकार के तीन महीने का खर्च चलाने के लिये लेखा अनुदान स्वीकृत करने का निवेदन किया था, चूंकि नई सरकार को वार्षिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से विचार करने का समय नहीं मिला था। मैं अब परिवर्तित बजट के अनुमान और नये खर्चे के प्रस्तावों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं।

3. हाल के भारत-पाक संघर्ष में हमारी अद्वितीय विजय और आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जनता के भारी समर्थन के बाद आने वाले इस पहले बजट की खास अहमियत है। इन दोनों घटनाओं का विशेष राजनीतिक महत्व है और इनसे भावी घटनायें निरन्तर प्रभावित होती रहेंगी। बंगला देश की मुक्ति और कुछ बड़ी ताकतों के विरोध के बावजूद हमारे प्रिय सिद्धान्तों-लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद की विजय ने देश में आत्म-विश्वास के एक नये वातावरण को जन्म दिया है। ऐसी एक धारणा बनी है कि संकल्प और प्रयास से देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपने प्रिय उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। जनता अब साधारण प्रयत्नों और छोटे मोटे परिवर्तनों से सन्तुष्ट होने वाली नहीं है और वह अब निर्णायक और ठोस नतीजे चाहती है। पिछले आम चुनावों में हमको जनता द्वारा दिये गये निर्णायक समर्थन ने हमारे ऊपर अपने वायदे को पूरा करने की नई जिम्मेदारी डाल दी है--एक ऐसे समाज के निर्माण का वायदा, जिसमें शोषण नहीं हो और जहां आम अवाम को खुशहाल और भरपूर जिन्दगी बसर करने का पूरा मौका हो। इसके लिये सिर्फ देश की सम्पदा बढाना ही काफी नहीं है। उसके उचित बंटवारे की व्यवस्था और आमदनी की असमानताओं में कमी करना भी उतना ही जरूरी है। जब समाज के सब से कमजोर तबके लगातार बढते हुए पैमाने पर विकास के फायदों में भागीदार बनेंगे तब ही यह कहा जा सकेगा कि हम इस नये समाज के निर्माण की ओर सही मायने में बढ रहे हैं। पुरानी मान्यताओं और विचारधाराओं को छोड कर हमें नई मान्यताओं और विचार-धाराओं को अपनाना होगा। हम इन उद्देश्यों की तरफ आत्म-विश्वास से बढेंगे, और अगर ऐसा करने में हमारे पांव किसी और के पांव पर पड जाते हैं तो यही समझा जाये कि यह हमारी अपने लक्ष्यों की तरफ रुकावटों को नजरअन्दाज करते हुए बढने की इच्छा का प्रतीक है।

4. हमारी समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र में पूरी आस्था है और हम इन उद्देश्यों को हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। इस पृष्ठभूमि में भूमि सुधारों का तेजी से अमल सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। सरकार सदन के इसी सत्र में कृषि भूमि पर केन्द्रीय भूमि सुधार कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप सीलिंग निर्धारित करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही साथ हम भूमि-हीनों को भूमि आवंटन पर अधिकतम

Page No 3

(श्री चन्दनमल वैद)

बल दे रहे हैं। हमने शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के अपने इरादे की पहले ही घोषणा करदी है। इस पर अमल करने के लिये भी विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा हम प्रशासन को एक बिलकुल नया मोड़ देना चाहते हैं जिससे कि वह गरीबों और दबे हुए तबकों की जरूरतों की तरफ ज्यादा हमदर्दी का रुख अपनायें।

परिवर्तित बजट अनुमान 1972-73

राजस्व प्राप्तियां

5. सरकार के उद्देश्यों और नीतियों का उल्लेख करने के बाद अब मैं सन् 1972–73 के बजट के परिवर्तित अनुमानों के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालूंगा। मैं पहले राजस्व खाते को लूंगा। इसमें राजस्व प्राप्तियां 211.51 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं, जिसमें राज्य की अपनी आय 114.00 करोड़, पांचवें फाइनेन्स कमीशन के एवार्ड के फलस्वरूप राज्य को मिलने वाला अनुदान 56.46 करोड़ और निम्न-लिखित मदों में केन्द्रीय अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली 41.05 की रकम शामिल है:—

(रुपये करोड़ में)

1. राज्य की योजना के लिये	12.80
2. केन्द्र संचालित स्कीमों के लिये	16.79
3. अन्य गैर योजना कार्यों के लिये	11.46

राजस्व व्यय

6. राजस्व खाते से होने वाले व्यय का अनुमान 228.33 करोड़ आंका गया है। मोटे तौर पर इस व्यय का बंटवारा इस प्रकार है:—

(रुपये करोड़ में)

1. गैर योजना व्यय	192.02
2. राज्य की योजना पर व्यय	19.68
3. केन्द्र संचालित स्कीमों पर व्यय	16.63

7. यह उल्लेखनीय है कि 192.02 करोड़ के गैर योजना व्यय में से राज्य की ऋण की देनदारी पर केवल ब्याज के चुकारे में 41.90 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा और गैर योजना मद में शिक्षा पर 42.26 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। गैर योजना के अन्य मदें जिन पर 10 करोड़ रुपयों से अधिक खर्चा होगा, वे हैं—पुलिस 12.50 करोड़ और चिकित्सा 11.36 करोड़। यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि राज्य कर्मचारियों को 1-10-71 और 1-2-72 से जो तदर्थ राहत दी गयी है उसके कारण इस वर्ष गैर योजना मद में 4.20 करोड़ रुपयों का अति-रिक्त व्यय होगा।

राजस्व खाते में घाटा

8. चूंकि राजस्व प्राप्तियां 211.51 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं और राजस्व खाते में होने वाला व्यय 228.33 करोड़ आंका गया है, अतः 1972-73 में राजस्व खाते में 16.82 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है।

पूंजी खाते में संवितरण

9. पूंजी खाते में, जिसमें सुविधा के लिये पब्लिक अकाउण्ट को भी शामिल

(श्री चन्दनमल वैद)

कर लिया गया है, मुख्य मदों में संवितरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1. सार्वजनिक ऋणों का चुकारा	4.56
2. पुराने ओवरड्राफ्ट का चुकारा	10.29
3. केन्द्र को ऋणों का चुकारा	36.53
4. स्वायत्त संस्थाओं को ऋण का चुकारा	0.88
5. जागीर बाण्डों का भुगतान	1.80
6. पूंजी व्यय—	
(अ) राज्य की योजना और केन्द्र संचालित योजना	25.39
(ब) गैर योजना कार्यों पर	2.10
7. ऋण और अग्रिम का सवितरण—	
(अ) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीमें	12.68
(ब) गैर योजना	4.81
कुल ..	99.04

10. ऊपर बताये गये संवितरण के मुकाबले में पूंजी खाते में प्राप्तियां, जिसमें पब्लिक अकाउण्ट (नैट) सम्मिलित है, कुल 84.62 करोड़ आंकी गई है। ये प्राप्तियां इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1. सार्वजनिक ऋणों से	17.73
2. केन्द्र से ऋण—	
(अ) राज्य की योजना और केन्द्र संचालित योजनाओं के लिए	31.80
(ब) गैर योजना स्कीमों के लिए	2.22
1. स्वायत्त संस्थाओं से ऋण—	
(अ) राज्य की योजना और केन्द्र संचालित योजनाओं के लिए	2.11
गैर योजना स्कीमों के लिये	0.01
4. अल्प बचत में राज्य का हिस्सा	3.33
5. ऋण और अग्रिम की वसूली	11.69
6. जागीर बाण्ड जारी करने से	0.35
6. स्टेट ट्रेडिंग शुद्ध आय	2.81
8. पब्लिक अकाउन्ट से शुद्ध (नेट) प्राप्तियां	12.57
कुल ..	84.62

पूंजी खाते में घाटा

11. इस प्रकार पूंजी खाते में जिसमें पब्लिक अकाउन्ट भी शामिल है, 14.42 करोड़ का घाटा है।

(श्री चन्दनलल वैद)

12. 1971-72 के कर-स्तरों पर 1972-73 में बजट का घाटा राजस्व व पूंजी दोनों खातों में मिला कर कुल 31.24 करोड़ रुपये का रहता है। यह घाटा योजना और गैर योजना के खातों में इस प्रकार बंटा हुआ है:—

(करोड़ रुपयों में)

1.	गैर योजना मद	27.94
2.	राज्य की योजना	2.04
3.	बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष केन्द्र संचालित योजना में राज्य का योगदान	1.26
	कुल..	31.24

13. यहां मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्र संचालित योजना पर होने वाले कुल 20.16 करोड़ के व्यय की पूर्ति, केवल बेरोजगारी उन्मूलन की विशेष केन्द्र संचालित की स्कीम के लिए राज्य के 1.26 करोड़ के योगदान को छोड़ कर, केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति से हो जायगी। जहां तक राज्य की योजना का प्रश्न है हम यह मान कर चले हैं कि राज्य की कुल 63.04 करोड़ की योजना के लिए राज्य सरकार अपने प्रयत्नों से 9.63 करोड़ वित्तीय साधन जुटा सकेगी। चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिक साधन जुटाने के अभी तक किये गये प्रयत्नों से 8.65 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। परन्तु भारत सरकार की सलाह के अनुसार इनमें से 1.06 करोड़ ओवरड्राफ्ट के चुकारे के लिए हस्तांतरित करना है जिससे योजना के लिये अपने साधनों की शुद्ध उपलब्धि केवल 7.59 करोड़ ही रह जाती है। इस प्रकार बजट में राज्य योजना के लिए साधनों में 2.04 करोड़ की कमी दिखायी गयी है। इसमें बेरोजगारी की विशेष केन्द्रीय योजना के लिए राज्य का 1.26 करोड़ का योगदान जोड़ने पर योजना खर्च के कारण कुल घाटा 3.30 करोड़ हो जाता है।

14. माननीय सदस्यों को शायद मालूम ही होगा कि ओवरड्राफ्ट के मसले पर केन्द्र व राज्य सरकारें गम्भीरता से विचार कर रही हैं। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि ओवरड्राफ्ट रोकना और खर्च को उपलब्ध साधनों तक सीमित रखना परमावश्यक है। केन्द्रीय सरकार ने चाहा है कि 31 मार्च, 1972 तक कूता गया ओवरड्राफ्ट और आगे न बढ़ने दिया जाय और उसका 15 प्रतिशत के दर से प्रति वर्ष चुकारा किया जाय। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का 31 मार्च, 1972 तक ओवरड्राफ्ट 68.62 करोड़ आंका है जब कि 31, मार्च 1972 को वास्तविक ओवरड्राफ्ट 89.82 करोड़ था। 1971-72 के लेखों का अन्तिम समायोजन होने पर इस राशि के और भी बढ़ने की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार हमने 1972-73 के बजट में 1.06 करोड़ योजना के साधनों और 9.23 करोड़ सार्वजनिक ऋण से कूते गये ओवरड्राफ्ट की 15 प्रतिशत किश्त चुकाने के लिए प्रावधान कर दिया है। यहां मैं राज्य पर बढ़ती हुई कर्ज की देनदारी का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस समस्या के युक्तिसंगत समाधान पर ही राज्य की वित्तीय स्थिरता

(श्री चन्दन मल वैद)

निर्भर है। सच तो यह है कि कर्ज का निरंतर बढ़ता हुआ बोझ लगभग सभी राज्यों के वित्तीय संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसलिए हमारा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार को बिना देर किये एक नेशनल डेट कमीशन कायम करना चाहिये जो कि राज्यों की कर्ज की देनदारी की समस्या का गहराई से अध्ययन करे और इसको कम करने के उपायों के बारे में सुझाव दे। अन्य राज्यों के मुकाबले यह समस्या हमारे राज्य के लिये अधिक जटिल है, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण का भार हमारे साधनों और आबादी के अनुपात में कहीं अधिक है। हमारे ऊपर कर्ज का कितना ज्यादा बोझ है, इसका अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च, 1972 तक बजट के तखमीनों के अनुसार राज्य सरकार पर कुल 643.16 करोड़ का कर्ज था 1972-73 में ऋण की देनदारी के लिये हमें 95.96 करोड़ खर्च करना पड़ेगा जिसमें 41.90 करोड़ ब्याज और 54.06 करोड़ मूलधन की किश्त का चुकारा शामिल है। केवल भारत सरकार को ही ऋणों की अदायगी के लिये 29.46 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में और 36.53 करोड़ रुपया मूलधन की किश्त के रूप में चुकाने पड़ेंगे। इस ऋण भार के बढ़ते चले जाने के कई कारण रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करना अभी संभव नहीं है। बार-बार सूखा पड़ने और उससे प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने के लिये किये गये भारी खर्च से राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। असल में उत्पादक कार्यों में पूंजी विनियोजन और अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने से ही साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं और वित्तीय स्थिरता लाई जा सकती है। परन्तु इस मामले में भी राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य अजीब किस्म के कुचक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि आर्थिक विकास धीमा होने के कारण साधनों की कमी है और विनियोजन के लिये साधनों की कमी के कारण आर्थिक विकास धीमा है। हालांकि केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या के प्रति जागरूक है परन्तु जब तक केन्द्र सरकार औद्योगिक लाइसेन्सों की स्वीकृति, बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साधन दिलाने, और योजना के लिये केन्द्रीय सहायता देने में पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान नहीं रखती, तब तक इस समस्या का उचित समाधान होना सम्भव नहीं है। यह सब मानते हुए भी, राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने और उसमें स्थायित्व लाने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। इस दिशा में राज्य सरकार के कुछ मुख्य कदम यह होंगे–अनावश्यक खर्च और गैर योजना व्यय में कमी, कानूनों में कर चोरी के रास्ते बन्द करना और टैक्स की चोरी को रोकना, टैक्सों, अग्रिम व ऋणों की ज्यादा वसूली करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कार्य में सुधार करना, अल्प बचत में अधिक संग्रह और बिभिन्न क्षेत्रों में किये गये पूंजी विनियोजन से और अधिक लाभ प्राप्त करना। हम यह भी आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला छठा फाइनेन्स कमीशन राज्य की आवश्यकताओं और वित्तीय असन्तुलन को ध्यान में रखते हुए उचित अनुदान की सिफारिश करेगा।

15. कुल मिला कर स्थिति यह है कि हमने पिछला वित्तीय वर्ष 89.82 करोड़ के

(श्री चन्दनमल वैद)

ओवर ड्राफ्ट से समाप्त किया। इसमें 1971-72 के लेखों में किये जाने वाले समायोजन की रकम और जुड़ेगी। पिछले वर्षों से चले आने वाले इन घाटों के अलावा इस वर्ष में 31.24 करोड़ का अनुमानित घाटा है। इन निरन्तर चले आने वाले घाटों को राज्य पर 643.16 करोड के ऋण भार की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये।

वार्षिक योजना 1972-73

16. वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद अब मैं वार्षिक योजना 1972-73 का जिक्र करूंगा। हमारी कठिन वित्तीय स्थिति के लिये उत्तरदायी कारणों और इस वर्ष के विकास कार्यक्रमों के निर्माण में आने वाली बाधाओं को मैं पहले ही विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। राज्य के वित्तीय संकट के अलावा भारत-पाक संघर्ष तथा बंगला देश के शरणार्थियों के आर्थिक संकट के कारण योजना के लिये केन्द्रीय सहायता भी कम मात्रा में प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सहायता गत वर्ष में 44.00 करोड़ की तुलना में 3 प्रतिशत घटा कर 42.68 करोड कर दी गई है। सामान्य स्थिति में केन्द्रीय सहायता इस वर्ष बढ कर कम से कम 47.00 करोड़ हो जानी चाहिये थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भारत सरकार की सलाह पर हमें योजना के साधनों में से 1.06 करोड योजना भिन्न घाटे को पूरा करने के लिये देना पड रहा है। ऊपर बताई गई बंदिशों के कारण 1972-73 की योजना में कुछ महत्वपूर्ण विकास मदों जैसे कृषि, जल प्रदाय एवं प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त नये कार्यक्रम बहुत कम हैं और सुदृढीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। इन परिस्थितियों में उचित विकास कार्यक्रम का निर्माण संभव मालूम नहीं हो रहा था। दूसरी ओर जनता द्वारा किये गये भारी समर्थन व समाज के पिछड़े हुए तबके के ऊपर उठाने के हमारे वचन को ध्यान में रखते हुए एक साहसिक विकास कार्यक्रम आवश्यक था। हमने इस दुविधा को दूर करने के लिये संस्थागत वित्तीय साधनों और केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं का अधिकतम सहारा लिया है। इस प्रकार, हालांकि वार्षिक योजना 1972-73 का आकार गत वर्ष हुए व्यय से कुछ कम है, मगर विकास कार्यों के लिये कुल उपलब्ध साधन गत वर्ष से कहीं अधिक है। गत वर्ष विकास कार्यक्रमों पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के अलावा कुल व्यय 135 करोड़ हुआ था जिसमें राज्य योजना, केन्द्र संचालित योजनायें एवं संस्थागत साधन सम्मिलित थे। इस वर्ष यह राशि 164 करोड होने का अनुमान है जो 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य कारण एग्रीकल्चर फाइनेन्स कारपोरेशन (ए.एफ.सी.) तथा एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कोरपोरेशन (ए. आर. सी.) द्वारा समर्पित लघु सिंचाई तथा भूमि विकास योजनाओं में पूंजी विनियोजन में वृद्धि तथा केन्द्रीय बजट में विशेष कार्यक्रमों के लिये 125.00 करोड़ के प्रावधान में से 10.00 करोड़ की संभावित प्राप्ति है।

राज्य योजना के साधन

17. वार्षिक योजना 1972-73 के लिये 63.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये वित्तीय साधन इस प्रकार हैं:—

Page No 8

(श्री चन्दनमल वैद)

(रुपये करोड़ में)

1.	केन्द्रीय सहायता	42.68
2.	सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त होने वाला ऋण	1.00
3.	गृह निर्माण तथा भूमि अवाप्ति और विकास की योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाला ऋण	0.95
4.	शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाला ऋण	1.32
5.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा खुले बाजार व जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाला ऋण	7.46
6.	राज्य सरकार का अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से योगदान	9.63
	कुल ..	63.04

18. इसके अलावा 1.26 करोड़ रुपये बेरोजगारी दूर करने के लिये चलाये जाने वाले विशेष केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम में राज्य के योगदान के लिये अलग रखे गये हैं जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं अब संक्षेप में इस वर्ष के विकास कार्यक्रम के खास पहलुओं का जिक्र करना चाहता हूं।

कृषि कार्यक्रम

19. कृषि के क्षेत्र में विशेष प्रयत्न, खाद्यान्न की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के क्षेत्रफल में वृद्धि, लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास तथा बड़ी परियोजनाओं की सिंचाई सुविधाओं के समुचित उपयोग पर किये जाते रहेंगे। अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के क्षेत्रफल में वर्ष 1971—72 में 8.00 लाख हैक्टेयर की संभावित उपलब्धि की तुलना में इस वर्ष लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसी प्रकार, रसायनिक खाद का उपभोग गत वर्ष में साड़े तीन लाख टन से बढ़ कर इस वर्ष साड़े चार लाख टन होने का अनुमान है। चम्बल क्षेत्र में भूमि को समतल बनाने एवं नालियां बनाने की एक बड़ी योजना एग्रीकल्चर फाइनेन्स कोरपोरेशन की सहायता से हाथ में ली जा रही है। इसके अन्तर्गत लगभग 11 करोड़ की लागत से 18000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि समतल की जायेगी। राजस्थान व भाखरा नहर क्षेत्रों के लिये भी ऐसी ही योजनाएं विचाराधीन हैं। इन सभी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तथा सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के कारण यह अनुमान है कि इस वर्ष 5.75 लाख टन खाद्यान की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा की जा सकेगी।

20. मैं पहले ही वित्तीय एजेन्सियों से अधिकाधिक सहायता लेने की दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों का जिक्र कर चुका हूं। वित्तीय संस्थाओं से साधन जुटाने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने के लिये सरकार ने सचिवालय में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की थी जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय एजेन्सियों की सहायता से चलने

(श्री चन्दनमल बैद)

वाले कार्यक्रमों में कई गुना वढोतरी हुई है। वर्ष 1970–71 तक 10 लघु सिंचाई तथा भूमि विकास योजनाएं ए. आर.सी. द्वारा स्वीकृत की गई थीं। केवल वर्ष 1971–72 में ही 9 और योजनाएं ए. आर. सी द्वारा स्वीकृत की गई। यह है—रेलमगरा (जिला उदयपुर), धौलपुर (जिला भरतपुर), सांभर (जिला जयपुर) सायला (जिला जालोर), महुआ और टोडाभीम (जिला सवाई मायोपुर) तथा जैतारण (जिला पाली)। इसके अतिरिक्त झालरापाटन (जिला झालावाड़) में नारंगी प्लान्टेशन स्कीम तथा भरतपुर जिले में छोटे किसानों की योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों के लिए विशेष योजना स्वीकृत की जा चुकी है। यह आशा की जाती है कि इस वर्ष कम से कम 25 और योजनाएं स्वीकृत होंगी जिनकी अनुमानित लागत लगभग 12.50 करोड़ होगी। ए. एफ. सी. व ए. आर. सी. द्वारा सहायता में वृद्धि से, राज्य के भू-जल स्रोतों से अधिकाधिक उपयोग में काफी मदद मिलेगी।

21. 400 नल कूपों के निर्माण की एक विशेष योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य अकेले किसी एक कृषक अथवा कृषकों के समूह को उन क्षेत्रों में जहां कुओं से सिंचाई की संभावनाएं सीमित हैं, नलकूपों का स्वामित्व देना है। सरकार नलकूपों को रियायती दरों पर बेचेगी जिसकी कीमत नलकूप की गहराई तथा उससे पानी की निकासी पर निर्भर करेगी। इसके लिये आवश्यक धनराशि राज्य को केन्द्रीय संचालित ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम (Drought Prone Areas Programme) के अन्तर्गत मिल सकेगी।

22. पाकिस्तान के साथ अभी हुए युद्ध ने सभी क्षेत्रों में आत्म निर्भरता की आवश्यकता पर हमारा ध्यान आकर्षित किया हैं। इसके लिए आयातित वस्तुओं को अपने देश में ही उत्पादन करने के कार्यक्रमों पर अधिकतम महत्व देना पड़ेगा। हमारा वस्त्र उद्योग अभी तक लम्बे रेशे वाली कपास के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। वस्त्र उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, लम्बे रेशे को कपास की खेती को राजस्थान नहर क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक केन्द्र संचालित योजना शुरू की जा रही है जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 36 हजार हैक्टेयर भूमि लाई जायेगी।

पशुपालन एवं डेयरी

23. यद्यपि सघन एवं वैज्ञानिक कृषि के प्रोत्साहन के लिये हर संभव उपाय किये जा रहे हैं, फिर भी राज्य की विशिष्ट जलवायु के कारण इसकी सम्भावनाएं सीमित हैं। राज्य के एक बड़े भाग में, जो कि मरु तथा अर्ध-मरुस्थलीय क्षेत्र में है, पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये पशुधन के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में 'हरित क्रांति' के साथ साथ 'श्वेत क्रांति' लाने के लिये भी विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख कार्य डेयरी एवं मिल्क प्रोसेसिंग प्लान्ट्स की स्थापना तथा विदेशी नस्लों से क्रास ब्रीडिंग द्वारा पशु विकास के सघन प्रयत्न करना है। एक विस्तृत प्रोजेक्ट भारत सरकार की मार्फत विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिये भेजा जा चुका है। इस बीच हमें डेयरी

(श्री चन्दनमल बैद)

विकास के लिये 'आपरेशन फ्लड' (Operation Flood) कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.82 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि नस्ल सुधार कार्यक्रमों तथा डेयरी तथा बेलेंसिग प्लान्ट्स की स्थापना पर व्यय की जायेगी। नेशनल कोपरेटिव डेवलपमन्ट कारपोरेशन ने, सिद्धान्त रूप में राज्य में सहकारिता क्षेत्र में 8 डेयरी की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। दुग्ध उत्पादकों का एक सहकारी समिति अजमेर में गठित की जा चुकी है और डेयरी प्लान्ट लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। यह आशा है कि इसके पश्चात् कोटा में एक डेयरी को स्थापना की जायगी जिसके लिये प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिये जा चुके हैं। डेयरी विकास एवं पशु सुधार पर प्रस्तावित इन वृहद् कार्यक्रमों के फलस्वरूप राजस्थान के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी जिनमें से अधिकांश छोटे एवं मारजीनल किसानों की श्रेणी में आते हैं।

सिंचाई

24. राजस्थान नहर प्रोजेक्ट राज्य एवं सम्पूर्ण देश के लिये अत्यन्त महत्व की परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के लिये राज्य योजना में प्रावधान 1971-72 में 6.23 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1972-73 में 7.50 करोड़ किया जा रहा है। यह मानना पड़ेगा कि इस परियोजना के आकार और इसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। यह निर्विवाद है कि राज्य के अल्प वित्तीय साधनों से वांछित गति से इस परियोजना को पूर्ण करना सम्भव नहीं होगा इसलिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के लिये हम भारत सरकार से राज्य योजना के प्रावधानों के अतिरिक्त धन का अनुरोध करते रहे हैं। गत वर्ष भारत सरकार ने 3.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की थी और यह आशा है कि इस वर्ष में की कम से कम इतनी ही अतिरिक्त सहायता उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त हम भारत सरकार से परियोजना के द्वितीय चरण के प्रारम्भिक कार्यों के लिये 2.00 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का अनुरोध कर रहे हैं।

विद्युत्

25. बिजली की स्थिति गत दो वर्षों से काफी सन्तोषप्रद है और जवाहरसागर परियोजना की दो इकाइयों के चालू हो जाने एवं राजस्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट की पहली इकाई के चालू हो जाने से इस वर्ष स्थिति में और भी सुधार होगा। फर्म पावर की उपलब्धि वर्ष 1971-72 में 288 मेगावाट से बढ़ कर वर्ष 1972-73 में 421 मेगावाट हो जाने की आशा है। विद्युत् के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व ग्रामीण विद्युतिकरण को किया जावेगा जो कृषि विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। गत वर्ष 13,294 कुओं को बिजली पहुंचाई गई जिस की तुलना में इस वर्ष 20,000 कुओं को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 1,000 बस्तियों के विद्युतिकरण का भी लक्ष्य है। वर्ष 1972-73 के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम के पूर्ण होने पर राजस्थान में कुल 68,389 कुओं और 5,168 बस्तियों को बिजली पहुंचा दी जा चुकी होगी। उपरोक्त कार्यक्रम रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन

(श्री चन्दनमल बैद)

द्वारा लगभग 7.50 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने के कारण संभव हो सकेगा।

26. माननीय सदस्यों को शायद मालूम होगा कि राज्य में 16 जिले औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये। ये जिले हैं—जालोर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झालावाड़, टौंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाडा, झुंझुनूं, जैसलमेर तथा बाड़मेर। उपरोक्त 16 जिलों में से दो जिले—अलवर और जोधपुर में नये उद्योग स्थापित करने वालों को 50 लाख तक के पूंजी विनियोजन तक 10 राशि अनुदान के रूप में मिलेगी। ये रियायत ब्याज की कम दरों पर ऋण की सुविधा के अतिरिक्त है। अलवर में 39 तथा जोधपुर में 48 कार्यरत इकायों ने वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अलवर में 108 तथा जोधपुर में 31 नवीन इकाइयों का पंजीकरण हुआ है। ये प्रार्थना-पत्र विभिन्न वित्तीय एजेन्सियों के विचाराधीन हैं।

27. इन 16 जिलों में उनके पिछड़े घोषित होने के बाद से 890 लघु उद्योग इकाइयों का स्थायी पंजीकरण किया जा चुका है। औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से सिरोही अलवर नागौर, जोधपुर, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं। यह आशा की जाती है कि रियायती दरों पर वित्तीय साधनों की उपलब्धि से इन जिलों में पूंजी विनियोजना के लिये उपयुक्त वातावरण बनेगा।

28. राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम को 6 प्रोजेक्टस की स्थापना के लिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट प्राप्त हुए है। ये प्रोजेक्टस ग्लास बोटल्स, स्कूटर सोडा ऐश ग्री व्हीलर्स क्रायोलाइटस (cryolits) तथा केलशियम कारबाइड़ के उत्पादन के लिये हैं। इन प्रोजेक्टस पर कुल 24.21 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा। यह आशा है कि इन सभी 6 प्रोजेक्टस के निर्माण का कार्य वर्ष 1972–73 में प्रारम्भ हो जायेगा। निगम को 4 अन्य प्रोजेक्टस के लिये भी लेटर ऑफ इन्टेट मिल जाने की आशा है।

शिक्षा

29. संविधान में निहित सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हम सतत प्रयत्न करते रहते हैं। परन्तु साधनों की कमी और कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण हम 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के 58.8 प्रतिशत बच्चों को ही अब तक स्कूलों में प्रवेश दे सके हैं। हम इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को 1975 तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के लिये वचनबद्ध है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 1000 नई प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 1000 प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के विकास को दिशा में किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा प्रयत्न है। मुझे यह सूचित करते हुए वर्ष है कि भारत सरकार ने इस वर्ष 6000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त सहायता देना स्वीकार कर

(श्री चन्दनमल बैद)

लिया है। यह गत वर्ष 2600 अध्यापकों के लिये प्राप्त सहायता के अतिरिक्त है। नई तथा क्रमोन्नत पाठशालाओं के अलावा ये अध्यापक मौजूदा पाठशालाओं में छात्रों की वृद्धि से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी उपयोग किये जायेंगे।

जल प्रदाय

30. राज्य के सामने सब से कठिन समस्याओं में से एक राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है, जिसके समाधान के लिये राज्य सरकार अथक प्रयत्न करती आरही है। नगरीय क्षेत्र में राज्य के 145 कस्बों में से 116 कस्बों के लिये जल प्रदाय योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं। अन्य 29 कस्बों में से एक रतनगढ़ में गैर सरकारी जल प्रदाय योजना है तथा अन्य 28 कस्बों के लिये योजना पर काम चालू है। यह अनुमान है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत प्रतिशत नगरीय जन-संख्या जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आ जायेगी। इनके अतिरिक्त वर्तमान जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन की 18 परियोजनायें प्रगति पर है तथा इनके चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

31. ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या और भी विशाल और जटिल हैं। इसी वर्ष में इस समस्या पर निर्णायक प्रभाव डालने के उद्देश्य से ग्रामीण जल प्रदाय का प्रावधान 3.55 करोड़ से बढ़ा कर 5.95 करोड़ कर दिया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 68 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त 1.84 करोड़ रुपये का व्यय ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम (Drought Prone Areas pro-gramme) के अन्तर्गत ग्रामीण जल प्रदाय पर होने का अनुमान है। हम यह भी आशा करते हैं कि केन्द्रीय बजट में विशेष कार्यक्रमों के लिये अलग रखे गये 125 करोड़ में से हमें इस वर्ष जल प्रदाय के लिये कम से कम 2.00 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार ग्रामीण जल प्रदाय पर कुल 10.00 करोड़ का विनि-योजन होने का प्रावधान है। यह आशा है कि इतने बड़े पैमाने पर विनियोजन से राज्य के अधिकतम समस्या वाले क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। निःसन्देह उन क्षेत्रों को प्राय-मिकता दी जायेगी जहां पेय जल का कोई स्रोत नहीं है।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

32. समाजवादी समाज की स्थापना के हमारे लक्ष्य के अनुरूप हम कमजोर वर्गों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। गत कुछ वर्षों में कई योजनाएं इस दिशा में प्रारंभ की गई हैं जिनको और गतिशील किया जायेगा तथा इस बात के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे कि जो सब से अधिक जरूरतमन्द हैं उन्हें सर्वाधिक लाभ मिले। इस वर्ष एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्य एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे

(श्री चन्दनमल बैद)

अनुभव से यह पता लगा है कि वे कुल हिस्सा पूंजी का अपना 10 प्रतिशत अंश देने में असमर्थ होने के कारण इस संस्था से सहायता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के जो लोग कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य बनने के इच्छुक हैं उनकी हिस्सा पूंजी का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 रुपये प्रति कुटुम्ब अनुदान के रूप में दिया जाये। इससे वे केवल 100 रुपये हिस्सा पूंजी के लिये देकर गृह निर्माण के लिये एपेक्स सोसाइटी से 4000 रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। यह निर्णय तो पहले ही लिया जा चुका है कि इन ऋणों पर ब्याज की समस्त राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। अतएव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये यह ब्याज–मुक्त ऋण होगा। हम आशा करते हैं कि इस रियायत का इस वर्ग के लोगों को पर्याप्त मकान उपलब्ध करवाने की समस्या पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

33. उन सभी कस्बों और गांवों में जहां नियमित जल प्रदाय योजनाएं हैं, पिछड़ी जातियों की बस्तियों में सार्वजनिक नल लगाने के लिये हम बराबर प्रयत्न करते रहे हैं। माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि सभी चालू और नई जल प्रदाय योजना में कमजोर तबकों के मोहल्लों में सार्वजनिक नल अनिवार्य रूप से लगा दिये जायें। उन जल प्रदाय योजनाओं में यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये जो पूरी हो चुकी हैं 16.50 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें 11 लाख ग्रामीण जल प्रदान और 5.50 लाख पिछड़ी जातियों के कल्याण के क्षेत्र में हैं।

34. सार्वजनिक नलों के साथ साथ कई वर्षों से एक प्रमुख कार्यक्रम हरिजन बस्तियों में बिजली की लाइने ले जाने का है। 25 लाख रुपये का प्रावधान राज्य बिजली बोर्ड के बजट में इसके लिए किया जा रहा है। इसके अलावा 10 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बेरोजगारी दूर करने की विशेष योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार प्रस्तावित 35 लाख की धनराशि से इस वर्ष ही इस समस्या के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा सके।

गृह निर्माण

35. राजस्थान आवासन बोर्ड ने सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। बोर्ड अगले 3-3 वर्षों में 5184 इच्छुक व्यक्तियों को आवास गृह उपलब्ध करा देगा वर्ष 1972-73 में 2868 मकानों के निर्माण कार्यक्रम है जिसमें से 1748 मकान अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए तथा 1120 मकान मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए होंगे। वर्ष 1972-73 में बोर्ड 2.34 करोड़ का पूंजी विनियोजन करेगा।

रोजगार

36. बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या हम सबके लिए चिन्ता का विषय है तथा उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई उपाय किये गये हैं। माननीय सदस्यों को शायद जानकारी होगी कि

(श्री चन्दनमल बैद)

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक 'क्रैश प्रोग्राम' पर अमल हो रहा है। गत वर्ष इस कार्यक्रम पर केवल 1,13 करोड़ रुपये ही व्यय किये किये जा सके क्योंकि यह कुछ देर से प्रारम्भ किया जा सका। इस वर्ष यह आशा है कि 3,25 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग में ले लिया जायेगा जिससे सारे राज्य में 26000 व्यक्तियों को 10 महिने तक रोजगार मिल सकेगा। गत वर्ष 1000 तकनीकी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों का एक पूल बनाने की योजना की घोषणा की गई थी, जिस पर अमल किया जा रहा है। पूल के सदस्यों को वजीफा दिये जाने का समय दो वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है। बेरोजगार डाक्टरों को निर्धारित क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं, प्राईवेट प्रेक्टिस प्रारम्भ करने में सहायता देने का कार्यक्रम गत वर्ष हाथ में लिया गया था, जिसका 82 डाक्टर लाभ उठा चुके हैं। बेरोजगार इन्जीनियरों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक नई योजना भी गत वर्ष हाथ में ली गई। इस कार्यक्रम के पांच अंग हैं:—

1. इक्वीटी पूंजी या मारजीन मनी
2. टेक्नीशीयन्स कोआपरेटीवस
3. कर्माशियल एस्टेट्स
4. इन्डस्ट्रीयल एस्टेट्स
5. देश में ही निर्मित मशीनरी को हायर परचेज पर देना,

इस हेतु भारत सरकार से 47 लाख रुपये प्राप्त हुए थे जिसमें से एक तिहाई भाग अनुदान एवं शेष ऋण के रूप में है। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम को इक्वीटी पूंजी या मारजीन मनी, कार्मशियल एस्टेट्स तथा इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स की योजनायें सौंपी गई हैं। टैक्नीशियन्स कोऑपरेटीव्स की योजना राजस्थान वित्त निगम तथा देश में निर्मित मशीनरी को हायर परचेज पर देने की योजना राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चलाई जायेगी। इस वर्ष में इन कार्यक्रमों के लिये कम से कम 1.30 करोड़ प्राप्त होने की आशा है।

37. मैं इससे पहले भारत सरकार की सहायता से शुरू किये जाने वाले रोजगार के विशेष कार्यक्रम का जिक्र कर चुका हूँ। इन कार्यक्रमों के लिये कुल 2.52 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से 1.26 करोड़ भारत सरकार से मिलेंगे। यह राशि उन कार्यक्रमों पर व्यय की जायेगी जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है और साथ ही साथ जिनमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। इस राशि का विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अस्थायी रूप से इस प्रकार वितरण करने का प्रस्ताव है:—

	(रुपये करोड़ में)
1. एग्रो सर्विस सेन्टर्स	0.10
2. ए. आर. सी. की लघु सिचाई योजनाएं	0.20
3. ग्रामीण विद्युतीकरण	0.80
4. सडकें	1.90
5. एडवर्ड मिल ब्यावर का पुनरुद्धार	0.08
6. गन्दी बस्ती उन्मूलन	0.15
7, एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी	0.10

(श्री चन्दनमल बैद)

	(रुपये करोड़ में)
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटी की हिस्सा पूंजी खरीदने के लिए अनुदान	0.09
कुल ...	2.52

यह आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों पर अमल से न केवल रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे वरन् राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

38. इन्जीनियरी स्नातकों को रोजगार देने की एक नई योजना भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए निर्माण के लिए चुने हुए क्षेत्रों में इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण किया जायगा। राज्य सरकार ने इस योजना को जोधपुर तथा बांसवाड़ा जिले में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है तथा इससे 100 इन्जीनियरिंग एवं कृषि स्नातकों को रोजगार मिलेगा।

39. आई. टी. आई. के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिक रोजगार दिलाने के लिए मशीन टूल कारपोरेशन, अजमेर के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 200 आई. टी. आई. सर्टीफिकेट होल्डर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनके राजस्थान राज्य के बाहर प्रशिक्षण का पूरा खर्चा सरकार व मशीन टूल कारपोरेशन मिल कर वहन करेंगे। प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर कोरपोरेशन उन्हें अपने यहां काम पर ले लेगा।

40. शिक्षा कार्यक्रमों का विवरण देते समय 6000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की योजना का मैं जिक्र कर चुका हूं। शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता के अतिरिक्त 6000 अध्यापकों के पदों के सृजन से प्रशिक्षित अध्यापकों में बेरोजगारी की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी।

41. हम इस बात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों से कमजोर तबके के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये अधिक ऋण की सुविधा दी जा सके : जैसे रिक्शा चालक, ठेले वाले, टैम्पो ड्राईवर, फेरी वाले, लुहार, सुथार, कुम्हार, मोची, दर्जी आदि। बैंकों से इस बारे में उपयोगी वार्ता शुरू की जा चुकी है और मुझे आशा है कि इन प्रयत्नों से कमजोर तबकों के लिये अधिक रोजगार की सुविधायें उपलब्ध की जा सकेंगी।

42. माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस जटिल समस्या को दूर करने का राज्य सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। विकास कार्यक्रमों के साधारण प्रावधानों के अलावा जिनमें भी रोजगार की काफी सम्भावनायें हैं, 15 करोड़ की धनराशि ऐसे विशेष कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध की जा रही है जिनका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना है। हमें पूरी आशा है कि इन कार्यक्रमों के जरिये हम इस समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ही समय में निर्णायक प्रभाव डाल सकेंगे।

43. अब मैं बजट भाषण के उस भाग पर आता हूं जो परम्परा से अप्रिय माना जाता है। चाहे वो किसी परिवार में 81

Page No 16

(श्री चन्दनमल बैद)

या पूरे राज्य में, जिसकी भी जिम्मेदारी साधन जुटाने और खर्च में किफायत करने की होती है, वह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। राज्य के वित्त मंत्री की हमेशा कुछ ऐसी ही हालत होती है। मैं इस जिम्मेदारी को खुशी से स्वीकार करता हूं और आशा करता हूँ कि यदि मेरे प्रस्ताव कुछ कडुवे भी लगें तो सदन मुझे क्षमा करेगा।

44. यह जानते हुए भी कि मैं अपने आपको दुहरा रहा हूँ, मैं आपका ध्यान फिर राज्य की उस गम्भीर वित्तीय स्थिति की ओर आकर्षित करूंगा जिसके दायरे में हमें अब तक बताये गये कार्यक्रमों पर अमल करना है। हम अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये साधन जुटाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसके साथ ही साथ जनता वहीं और अभी नतीजे चाहती है और इसके लिये कोई आसान रास्ता नहीं है। हमें अपना मानस बना कर साधन जुटाने के साहसिक प्रयत्न करने होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज देश में इसके लिये अनुकल वातावरण है और हमें इन प्रयासों में जनता का समर्थन अवश्य मिलेगा। अगर कहीं कुछ उनको पसन्द न भी आये तो भी वे हमारी मजबूरी को जरूर समझेंगे।

45. आय के नये साधन ढूंढने में मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि मेरे प्रस्ताव आर्थिक प्रगति में बाधक न हों और उनका कर देने की क्षमता से सीधा सम्बन्ध हो। मैंने आर्थिक असमानताओं को भी कम करने की कोशिश की है। माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि मेरे कर प्रस्ताव इतने सरल और स्पष्ट हैं कि इनमें कर चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

46. श्रीमन्, अब मैं आपकी अनुमति से अपने कर प्रस्ताव पेश करता हूं।

बिक्री कर

47. कोई भी वित्त मंत्री जो साधनों की तलाश में हो, बिक्री कर को टटोले बिना नहीं रह सकता। मेरा ध्यान सबसे पहले विलास वस्तुओं पर गया, जिसमें गहने और जवाहरात का पहला स्थान है। सदन की महिला सदस्यों से क्षमा मांगते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जेम्स और स्टोन्स, जिन पर अभी बिक्री कर दो प्रतिशत बहु बिन्दु (Multiple point) प्रणाली के अनुसार लिया जा रहा है उस पर कर की दर तीन प्रतिशत कर दी जाये। यह कर पहले की तरह टर्नओवर के विभिन्न स्लैब पर बढी हुई दरों से एक मुश्त वसूल किया जाता रहेगा।

48. अभी सोने के आभूषणों पर तीन प्रतिशत तथा चांदी के आभूषणों पर दो प्रतिशत बिक्री कर है लेकिन सोने और चांदी की अन्य वस्तुओं पर यह कर पांच प्रतिशत है। मेरा यह प्रस्ताव है कि इन सब पर कर की दर समान रूप से पांच प्रतिशत कर दी जावे।

49. इस सब प्रकार के गोटा, गोटा किनारी, सलमा, सितारा और बादला (सोना, चांदी व स्टेनलैस स्टील से निर्मित को छोड़ कर) पर तीन प्रतिशत कर लिया जाता है। मेरा प्रस्ताव है कि सभी प्रकार के गोटा, किनारी, सलमा, सितारा और बादला पर पांच प्रतिशत की दर से कर लिया जाये।

(श्री चन्दनमल वैद)

50. देशी मिठाई व नमकीन पर अभी दो प्रतिशत बिक्री कर है लेकिन हलवाई द्वारा बनाई व बेची जाने वाली देशी मिठाई व नमकीन आदि कर मुक्त हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह छूट वापिस ले ली जावे व दर दो प्रतिशत से बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दी जावे।

51. अभी होटल, रेस्टरां, जलपान गृह आदि के मालिकों द्वारा की गई बिक्री पर एक मुश्त कर वसूल किया जाता है। यह एक मुश्त कर करीब तीन प्रतिशत पड़ता है। इनकी आमदनी हाल में काफी बढ़ी है जो ज्यादातर ऊंची आय वाले ग्राहकों के कारण है। इसलिए प्रस्ताव है कि इस एक मुश्त कर की दर स्लैब पद्धति के अनुसार बढ़ा कर करीब कुल टर्नओवर के पांच प्रतिशत के बराबर कर दी जावे। 30 हजार रुपये या उससे कम टर्नओवर वाले हलवाइयों एवं रैस्टरां मालिकों पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इससे जहां एक ओर राज्य को आय होगी उधर दूसरी ओर छोटे हलवाइयों और रेस्टरां मालिकों को व्यापार में प्रोत्साहन मिलेगा।

52. माननीय सदस्य समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ टैक्स बढ़ाने के ही प्रस्ताव कर रहा हूं। आवश्यकतानुसार मैंने टैक्स कम करने पर भी विचार किया है। आज बाजरा, ज्वार और मक्का पर एक प्रतिशत बिक्री कर है। मेरा यह प्रस्ताव है कि इस श्रेणी में मोठ और जौ को भी शामिल कर लिया जाये और कर की दर दो प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दी जावे।

53. धान और चावल पर पहले से ही तीन प्रतिशत की दर से कर लिया जाता है। अब मेरा प्रस्ताव है कि बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, मोठ को छोड़ कर अन्य सभी धान्य तथा दालों (सभी रूपों में) पर दो प्रतिशत से बढ़ा कर कर की दर तीन प्रतिशत कर दी जावे।

54. आय के नये साधन ढूंढने में हम अब कृषि क्षेत्र की ओर आंख नहीं मूंद सकते। हरित क्रांति के फलस्वरूप बड़े काश्तकारों की आय कई गुना बढ़ी है और जब सरकार कृषि विकास के लिये इतने बड़े पैमाने पर विनियोजन कर रही है तो कुछ इस क्षेत्र से भी अपेक्षा करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस समय राजस्थान में रसायनिक खाद (उर्वरक) पर कोई बिक्री कर नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि इस पर पांच प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाये।

55. आज ट्रैक्टर, उसके स्पेयर पार्टस तथा ट्रैक्टर द्वारा चालित निर्दिष्ट कृषि यंत्रों पर दो प्रतिशत बिक्री कर है। मेरा प्रस्ताव है कि यह दर बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दी जाये।

56. कुछ परिस्थितियों में हाथ से बने हुए साबुन पर बिक्री कर से छूट है। इसका दुरुपयोग हो रहा है अतः यह प्रस्ताव है कि इस छूट को वापिस ले लिया जाये।

57. मानव निर्मित रेशों, इनका धागा और डोरी (मिश्रित धागे सहित) और कीटाणुनाशक (कवकनाशक) (Fungicides) सहित पर गत वर्ष केन्द्रीय बिक्री कर की

(श्री चन्दनमल वैद)

दर 'घोषणा-पत्र' पर तीन प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दी गई थी। इसी प्रकार हाइड्रोजिनेटेड तेल (वनस्पति सहित) पर इस दर को घटा कर डेढ प्रतिशत कर दिया गया था। ये रियायतें इस आशय से दी गई थीं कि इससे इस माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री में बढोतरी होगी और आय बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिये मैं ये रियायतें वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

58. हर बजट में शराब और सिगरेट पीने वालों पर कुछ मुसीबत जरूर आती है। सिगरेट तो अभी केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है मगर शराब को बिल्कुल अछूता छोड़ना ठीक नहीं होगा। इस समय देशी शराब तथा बीयर एवं विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब की अन्य किस्में, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा में प्रूफ स्पिरिट नहीं है और विकृत स्पिरिट पर बिक्री कर 15 प्रतिशत है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसको बढा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाये।

59. बिक्री कर में वृद्धि के उपरोक्त प्रस्तावों से, रियायतों से कमी निकालने के बाद, इस वर्ष में कुल 2.43 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

आबकारी कर

60. राजस्थान में एक नये पदार्थ मेथेनोल का उत्पादन इसी वर्ष से शुरू हुआ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर 50 पैसा प्रति लीटर की दर से आबकारी कर लगाया जाये इससे 2.00 लाख रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

मोटर गाड़ी कर

61. इस राज्य में जो ऐसे भाग्यशाली हैं कि अपनी निजी कार रखने की हैसियत रखते हैं, वो कुछ और देने के जरूर ही काबिल हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी मोटर कार पर मोटर गाड़ी टैक्स प्रति सीट 25 रुपये सालाना से 35 रुपये कर दिया जाये।

62. इस समय ट्रैक्टर पर 20 रुपया और ट्रेलर पर 100 रुपया प्रति वर्ष कर की दर है किन्तु कृषि प्रयोजनों हेतु काम में आने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर को कर से छूट है। यह प्रस्ताव है कि इस छूट को वापिस ले लिया जावे।

63. उपरोक्त प्रस्तावों पर अमल करने के लिये मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम के अधीन करों की अनुसूची में उचित संशोधन किया जायेगा। इसी प्रकार आटो रिक्शा, टैम्पो, मोटरकेब व बस, सार्वजनिक व निजी मालवाहनों आदि सभी किस्म के वाहनों पर कर की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। मोटर गाड़ी कर में वृद्धि से इस वर्ष 75 लाख रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

सिंचाई दर

64. हमारे राज्य को विशिष्ठ भौगोलिक और जलवायु स्थिति के कारण नहरों से सिंचाई की संभावनायें बहुत ही सीमित हैं। कुल बोये हुए क्षेत्र का नहरों से सिंचित क्षेत्र केवल 6 प्रतिशत है। सरकार ने इन सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने में करोड़ों रुपया खर्च किया है जो ऋण के रूप में हमें मिला है। यह अपेक्षा

(श्री चन्दनमल वैद)

की जाती थी कि सिंचाई दरों की आमदनी से परियोजनाओं का रख-रखाव व ब्याज चुकारा ही नहीं वरन् मूलधन की किश्तों का देना भी संभव होगा। इसके विपरीत स्थिति यह है कि सिंचाई दरों में रख-रखाव का खर्चा और ब्याज भी पूरा नहीं निकल रहा है और यही कारण है कि केवल बहुउद्देशीय और कामर्शियल सिंचाई परियोजनाओं के कारण पिछले वर्ष 8 करोड़ से भी अधिक घाटा हुआ। दूसरे शब्दों में कुछ भाग्यशाली किसानों को नहरों से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का भार राज्य की बाकी जनता पर पड़ रहा है जिसमें सूखे क्षेत्रों के गरीब किसान भी शामिल हैं। यहां यह भी कहना उचित होगा कि कुएं से सिंचाई का खर्चा, चाहे वह बैलों से पानी खींच कर अथवा डीजल या इलेक्ट्रिक पम्प से की जाये, किसान पर कई गुना ज्यादा आता है जब कि उसे कुआ खोदने आदि के लिये साधन स्वयं जुटाने पड़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में सिंचाई दरों में वृद्धि हर तरह से न्यायोचित है।

65. इसके अलावा, आज राज्य में सिंचाई की दरों में काफी असमानता है, चम्बल व अन्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कुछ ऊंची दरें है और भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान नहर में सिचाई दरें कम हैं। इस असमानता का भी अब कोई औचित्य नहीं है। इन सब असन्तुलनों को थोड़ा ठीक करने के लिये मैं सिंचाई की दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। यह इस प्रकार है:—

फसल का नाम	प्रति एकड़ वर्तमान दर (रुपयों में)	प्रति एकड़ प्रस्तावित दर (रुपयों में)
1. गेहूं	8 से 10	12
2. गन्ना	22 से 27	30
3. कपास	13	20
4. चावल	10	14
5. ज्वार	4 से 7	7
6. ग्वार	4 से 12	12
7. गोचनी व बेजड़	8 से 12	12
8. चना (सिर्फ एक पिलाई)	4 से 7	7
9. चना (दो या दो से ज्यादा पिलाई)	9 से 12	12

सिंचाई दरों के उपरोक्त संशोधन से इस वर्ष 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

बजट की कुल स्थिति

66. ऊपर बताये गये प्रस्तावों से इस वर्ष 4.00 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। इसमें से 3.30 करोड़ रुपये राज्य योजना और केन्द्र संचालित 'योजनाओं' के घाटे की पूर्ति में जायेंगे। बाकी 70 लाख रुपये की धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में, जिनमें अनुसूचित जाति व जनजाति शामिल हैं, पीने के पानी की सुविधा जैसी समाज की अहम् जरूरत पूरी करने के लिये खर्च की जायेंगी।

67. मैं 3 लाख रुपये 1000 नयी प्राथमिक शालायें खोलने और 1000 स्कूल मिडिल स्तर पर क्रमोन्नत करने के पूरक खर्चे के लिये प्रस्तावित करता हूं, जिसके लिये, जैसा कि मैं पहले बता चुका

(श्री चन्दनमल वैद)

हैं, शिक्षकों तथा कुछ अन्य मदों पर खर्च भारत सरकार के अनुदान से किया जायेगा।

68. मूल्यों में वृद्धि के कारण एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाखानों में दवाइयों और मरीजों के लिये खुराक का प्रावधान कुछ कम पड़ने लगा है। इस मामले में सब से ज्यादा कमी ग्रामीण क्षेत्रों के दवाखानों में है। मैं इसलिये 20 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामीण डिस्पेन्सरियों और आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों और मरीजों को खुराक के लिये प्रस्तावित करता हूं।

69. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 16.50 लाख रुपये का प्रावधान ग्रामीण व शहरी आदिवासी व हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक नल लगाने के लिये किया जा चुका है। मैं 20 लाख रुपये का प्रावधान इस कार्य के लिये और प्रस्तावित करता हूं जिससे कि इस समस्या का पूर्ण रूप से हल इसी वर्ष में हो सके।

70. राज्य योजना का प्रावधान इस प्रकार 63.04 करोड़ से बढ़ कर 63.74 करोड़ रुपये हो जायेगा।

71. फिर भी गैर योजना मद में 27.94 करोड़ का घाटा रह जायेगा। हमें आशा है कि यह घाटा केन्द्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता तथा उनके द्वारा अधिक साधन जुटाने के प्रयत्नों से मिलने वाले राज्य के हिस्से से, पूरा हो जायेगा।

72 मैं अपना भाषण समाप्त करने के पहले फिर कहना चाहूंगा कि हमारी समस्याओं का कोई आसान हल नहीं है। एक तरफ तो हमारे सामने लगातार रहने वाले घाटे और बढ़ते हुए ओवरड्राफ्ट हैं और दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेदारी है। इन मुश्किलों के बावजूद हम आत्म-विश्वास के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलेंगे। खुशहाली का रास्ता लम्बा और कठिन है मगर फिर भी संकल्प और परिश्रम से हम गरीबी को मिटाने में जरूर कामयाब होंगे।

73. यह बजट इन उद्देश्यों की दिशा में एक छोटा सा कदम है। मुझे आशा है कि बजट में दर्शाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को सदन के सभी वर्गों का खुले दिल से समर्थन मिलेगा।

74. इन शब्दों के साथ, श्रीमन् मैं 1972-73 के परिवर्तित बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।

Page No 21

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 1972)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
2	अंतिम से	13	घध्यक्ष	अध्यक्ष
,,	,,	1	ई	गई
3	,,	16	भारो	भावी
6	,,	11	एवार्ड	एवार्ड
10		14	ओवर ग्राह	ओवर ड्राफ्ट
13		14	और	ओर
17	अंतिम से	7	पर	पर
21	,,	21	तक 10	तक 10 %
22	,,	14	ायु	आयु
,,	,,	18	पाथमिक	प्राथमिक
,,	,,	12	िये	लिये
,,	,,	30	(cryolits)	(cryolites)
26	,,	14	हो	की
,,	,,	21	3-3 वर्षों	2-3 वर्षों
31	अंतिम से	13	अनुकल	अनुकूल
37		4	चुकारा	का चुकारा
38	अंतिम से	5	3 लाख रुपये	30 लाख रुपये
40	,,	6	कार्यक्रमों	कार्यक्रमों